बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 132424 पटना, दिनांक 13/12/12

ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-10/2012

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग संख्या-42 के तहत योजना मुख्य शीर्ष-2501-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान विमुक्ति के लिए उपबंधित राशि ₹ 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) रूपये के अंतर्गत पूर्व एवं वर्तमान वर्षों के स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय अनुपातिक सहायक अनुदान ₹ 1578.93 लाख (पन्द्रह करोड़ अठहत्तर लाख तेरानवे हजार) एवं एन.आर.एल.एम. के लिए पूर्व एवं वर्तमान वर्षों के लिए विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि ₹ 3672.805 (छत्तीस करोड़ बहत्तर लाख अस्सी हजार पॉच सौ) रूपये का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति ।**

आदेश :- स्वीकृत ।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन दिनांक 01.04.1999 से पूरे राज्य में कराया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को अनुदान एवं बैंक ऋण देकर तथा किसी व्यवसाय में लगाकर उनके दिन-प्रतिदिन की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि कर उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाना है । इस कार्यक्रम पर आने वाले व्यय का वहन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है । यह एक चालू योजना है ।

3. 1 जनवरी 2012 से भारत सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर स्वरोजगार आधारित कार्यक्रम **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** कार्यान्वित करने का संसूचन किया है । ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या-3699 दिनांक-05.04.11 द्वारा राज्य में उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन किया गया है । **"बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS)"** राज्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के रूप में कार्य करेगी तथा परियोजना निदेशक बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, पटना **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** के राज्य मिशन निदेशक के रूप में भी कार्य करेंगे । यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर कार्यान्वित की जायेगी ।

4. NRLM की नयी व्यवस्था के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में राशि SRLM को विमुक्त की जायेगी । इसके आलोक में **"बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS)"** द्वारा लेखा संधारण हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी । केन्द्र सरकार द्वारा SRLM को विमुक्त राशि और उसके अनुपातिक सहायक अनुदान दोनों मदों की कुल राशि का 5% SRLM के प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा ।

5. वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु देय अनुपातिक सहायक अनुदान के रूप में **₹ 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़)** रूपये निर्धारित किया गया है ।

6. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय सहायक अनुदान की राशि ₹ 1239.69 लाख (बारह करोड़ उनचालीस लाख उनहत्तर हजार) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय सहायक अनुदान की राशि ₹ 339.24 लाख (तीन करोड़ उनचालीस लाख चौबीस हजार) विमुक्त किया जाना है, जबकि वित्तीय वर्ष 2011-12 में एन.आर.एल.एम. के लिए विमुक्त

केन्द्रांश के विरूद्ध देय सहायक अनुदान की राशि ₹ 3672.805 लाख (छतीस करोड़ बहतर लाख अस्सी हजार पॉच सौ) विमुक्त किया जाना है ।

7. वर्ष 2012-13 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु ₹ 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) रूपये का संशोधित योजना उद्व्यय उपलब्ध है तथा समतुल्य राशि का संशोधित बजट उपबंध निम्नवत है :-

क्रम	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	एस.जी.एस.वाई. में स्वीकृत की जाने वाली राशि	एन.आर.एल.एम. में स्वीकृत की जाने वाली राशि
(i)	मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी.2501061010101, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5374 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावे	8000.00 लाख	1550.00 लाख	6450.00 लाख
(ii)	मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी.2501067890101, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5374, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावे	4640.00 लाख	899.00 लाख	3741.00 लाख
(iii)	मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी.2501067960101, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5374 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावे	3360.00 लाख	651.00 लाख	2709.00 लाख
	कुल :-	16000.00 लाख	3100.00 लाख	12900.00 लाख

8. वित्त विभागीय पत्रांक-एम.04-53/2007-96वि.(2) दिनांक-03.01.08 की कंडिका-6(क) में निहित प्रावधान के आलोक में वर्ष 2012-13 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु ₹ 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) के बजट उपबंध के अंतर्गत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए ₹ 1578.93 लाख (पन्द्रह करोड़ अठहतर लाख तेरानवे हजार) एवं एन.आर.एल.एम. के लिए ₹ 3672.805 (छतीस करोड़ बहतर लाख अस्सी हजार पॉच सौ) की सीमा तक विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. उपबंधित राशि से पूर्व वर्ष के देय सहायक अनुदान की विमुक्ति के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि की विमुक्ति की जायेगी वैसे-वैसे देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि की विमुक्ति एवं व्यय की जायेगी ।

10. स्वीकृत राशि उपरोक्त कंडिका- 7(i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित बजट शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

11. (i) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए जिलों को विमुक्त की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगें तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी ।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए SRLM को विमुक्त की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे, राशि की निकासी सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(iii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के कार्यान्वयन हेतु आवंटित राशि की निकासी कर BRLPS द्वारा SRLM हेतु खोले गये बैंक खाता नंबर-8531101010676 केनरा बैंक, बी0एस0ई0बी0 शाखा, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना में जमा करेंगे ।

11. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

12. वित्त विभाग के प्रपित्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश आलोक राशि व्यय की जायेगी ।

13. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए उपबंधित राशि में से राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के मद में राशि व्यय किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा संचिका संख्या- सं0-ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-10/2012 के टिप्पणी पृष्ट 15 पर दिनांक-01.10.2012 को सशर्त सहमति प्राप्त है ।

14. वित्त विभाग के संकल्प सं0-96 दिनांक-03.01.08 के आलोक में प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति डायरी सं0-0 संचिका सं0- ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-10/2012 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-37 दिनांक-11.12.2012 को प्राप्त है ।

15. वित्त विभाग के संकल्प सं0-96 दिनांक-03.01.08 के आलोक में योजना कार्यान्वन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार (प्रशासी विभाग) का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-10/2012 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-35 में दिनांक-30.11.2012 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

(सुजाता चलाना)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 132424 पटना, दिनांक 13/12/12

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

सरकार के उप सचिव